न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 554 सन 2018
अनवान :–

1. दशरथ पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन गांधी नगर तहसील रावतसर।

वादी

बनाम

1. रतीराम पुत्र पि0मु0 गोकलराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा बिरकाली के खाता संख्या 357/27 के प0न0 156/34 (165) किला न0 17/0.253 ,18/0.253 ,23/0.202 ,24/0.203 , प0न0 156/35(212) किला न0 3/0.253 ,4/0.253 ,कुल 5.12 बीधा यानि 1.417हैक बारानी भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने दिनांक 20.04.2004 को खरीद की थी जिसका वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है।

उक्त भूमि खरीद के समय से ही वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा बैयनामा दिनांक 20.04.2004 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 16.02.2016 को स्वीकृत कर सही तौर से दर्ज कर दिया था परनतु उक्त भूमि वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 306/357 में भूमि दर्ज करते समय प0न0 156/34 के (165) के किला न0 17 ,18/0.506 , किला न0 23/0.202व 24/0.203 कुल 0.911 हैक बारानी तो सही तौर से दर्ज कर दी परन्तु प0न0 156/35(212) के किला न0 3/0.253 , 4/0.253 हैक कुल 0.506 हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज ना की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी गई जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि जो जरिये बेयनामा खरीद की गई थी को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी के द्वारा खरीद की भूमि को वादी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाव वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि को वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया । जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी के द्वारा रोही मोजा बिरकाली के खाता संख्या 357/27 के प0न0 156/34 (165) किला न0 17/0.253 ,18/0.253 ,23/0.202 ,24/0.203 , प0न0 156/35(212) किला न0 3/0.253 ,4/0.253 ,कुल 5.12 बीधा यानि 1.417हैक बारानी भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने दिनांक 20.04.2004 को खरीद की थी परनतु उक्त भूमि वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

306/357 में भूमि दर्ज करते समय प0न0 156/34 के (165) के किला न0 17 ,18/0.506 , किला न0 23/0.202व 24/0.203 कुल 0.911 हैक बारानी तो सही तौर से दर्ज कर दी परन्तु प0न0 156/35(212) के किला न0 3/0.253 , 4/0.253 हैक कुल 0.506 हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज ना की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी गई वादी अपने बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत बेयनामा के अनुसार रोही मोजा बिरकाली के खाता संख्या 357/27 के प0न0 156/34 (165) किला न0 17/0.253 ,18/0.253 ,23/0.202 ,24/0.203 , प0न0 156/35(212) किला न0 3/0.253 ,4/0.253 ,कुल 5.12 बीधा यानि 1.417हैक बारानी भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने दिनांक 20.04.2004 को खरीद की थी परनतु उक्त भूमि वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 306/357 में भूमि दर्ज करते समय प0न0 156/34 के (165) के किला न0 17 ,18/0.506 , किला न0 23/0.202व 24/0.203 कुल 0.911 हैक बारानी तो सही तौर से दर्ज कर दी परन्तु प0न0 156/35(212) के किला न0 3/0.253 , 4/0.253 हैक कुल 0.506 हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज ना की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी गई जो प्रस्तुत बेयनामा व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से साबित है वादी अपने बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 जो फोत हो चुका है के जायज वारिसान ने निवेदन किया की वादी के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 306/357 के प0न0 156/34 (165) के किला न0 17/0.253 ,18/0.253 ,23/0.202 ,24/0.203 ,कुल किता 4 की 0.911हैक व प0न0 156/35(212) के किला न0 3 ,4/0.506हैक कुल 1.417हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा प0न0 156/35 (212) किला न0 3 ,4 की 0.506हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते से कलमजन की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)